

राजस्थान सरकार  
न्यायालय उप खण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर  
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/केम्प कोर्ट) कैम्प

आदेश

11/8/2017  
व्यक्ति का नाम कुम्हारिकावाला  
व भू.अ.नि. की रिपोर्ट तथा तहसीलदार की अनुशांसा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम  
/नाथब तहसीलदार की अनुशांसा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम  
1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम गोशियावाला तहसील में खता संख्या  
जिला जयपुर की जमाबन्दी सम्वत् 2075-76 में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं।

क्र.सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि अशुद्ध प्रविष्टि	आदेश ( शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है )
1	गोशियावाला	24	रामधन पि. शूरा	रामधन पि. भौरीलाल
2	—	24	सूरज पि. शूरा	सूरज पि. भौरीलाल

शिविर प्रभारी  
पीठासीन अधिकारी  
उपखण्ड अधिकारी  
लोक अदालत  
चाकस (जयपुर)  
उपखण्ड अधिकारी एवं  
पदेन सहा. कलक्टर चाकस

क्रमांक :-

दिनांक :-

प्रतिरिपि :-

1. तहसीलदार चाकस को धेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामदा शोध किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवायें।
2. प्रार्थी श्री रामधन, सूरज पिता भौरीलाल जाट श्री सर्वाह जयसिंहपुरा को सूचनार्थ।
3. रक्षित पत्रावली

शिविर प्रभारी  
पीठासीन अधिकारी  
उपखण्ड अधिकारी  
लोक अदालत  
चाकस (जयपुर)  
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहा. कलक्टर चाकस